भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 14
गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना</u>

14. श्री मोहन मंडावी:
श्री अरुण साव:
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री एस.सी. उदासी:
श्री विजय बघेल:
श्री सुनील कुमार सिंहः
सुश्री दिया कुमारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी और निजी संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान सहित देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सरकारी और निजी संस्थानों के परिसरों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

- ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II - इस कार्यक्रम के तहत रूफटॉप सौर में बेसलाइन से अधिक क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए डिस्कॉमों को निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
- बायोगैस कार्यक्रम (चरण-I), जिसके तहत लघु एवं मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान सहित देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,

- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यापक स्तर पर स्थापना करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामला) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

*****